

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel.: 26533749 वैबसाइट/Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)  
ईमेल/Email: [kvshindisection@gmail.com](mailto:kvshindisection@gmail.com)



फा.सं.110225/केविसं(मु०)/रोकड़ /2022-23/801

दिनांक: 17.11.22

उपायुक्त/निदेशक

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/शिक्षा एवं प्रशिक्षक आंचलिक संस्थान

विषय: उपायुक्त/निदेशक और वित्त अधिकारी के व्यक्तिगत दावों का पूर्व लेखा-परीक्षा विषयक


महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि उपायुक्त/निदेशक और वित्त अधिकारी (जिनमें प्रभारी उपायुक्त/निदेशक वित्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) के व्यक्तिगत दावों अर्थात् यात्रा भत्ता/परिवहन यात्रा भत्ता/स्थानीय यात्रा दावा/बाल शिक्षा भत्ता, चिकित्सा बिल इत्यादि के बिलों को पूर्व लेखा-परीक्षा हेतु इस कार्यालय को भेजा जाना अपेक्षित है। यह केविसं (मु०) के दिनांक 26-5-2014 के आदेश सं 1-5/अआयुप्र(प्र.)/केविसं(मु०)/2013 में दी गई विषय - वस्तु का अधिकरण करता है। तथैव दिनांक 26.5.2014 के पूर्वोक्त कार्यालय आदेश में उल्लिखित अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे सभी बिलों को मूल रूप में एक ही प्रति में सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ पूर्व लेखा - परीक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से अर्गेषित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

भवदीय

  
(सत्यनारायण गुलिया)  
संयुक्त आयुक्त(वित्त)

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त महोदया के निजी सचिव को आयुक्त महोदया के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
2. सभी संयुक्त आयुक्त, केविसं(मु०) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त ईडीपी, केविसं(मु०) को जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।